

8 वकील वादीगण ने प्रार्थना-पत्र पेश कर
निवेदन किया कि प्रकरण सं. 31/13 दिनांक
4-6-2014 को इस अमानत द्वारा निर्णय
व फिरी पारित की जा चुकी है तथा
फिरी की पालना में इन्तकाल नम्बर 275 दि.
23-6-2015 के निर्णय व फिरी की पालना
तहसीलदार आंगरेला से की गई है। इस
अमानत के निर्णय निर्णयानुसार पालना नहीं
की गई तथा नदी प्रविष्टि के समस्त
समाप्ति में दत्त अमानत प्रकरण में
वैसा ही खाता है इस प्रकार नदी पालना
नहीं की गई।



अतः इन्तकाल नम्बर 275 दिनांक 23-6-2015
वनाम आंगरेला खारिज किया जाता है पुनः
इस अमानत निर्णय व फिरी की पालना
सही प्रकार से की जावे।

अतः आदेश दिया जाता है कि
उक्त खाता संख्या 89 पुराना 49 वनाम
आंगरेला में खातेशर कमिश्नी केवा फूलचुट
अमानत, रविमान्त कुत्र फूलचुट के खाते
में दत्त खाने 67 रुबा 0.36 है व खाने
172 रुबा 0.39 है खाते से खारिज किया
जाकर प्रविष्टिगण देवराज वॉरंट के
खाता सं. 101 वनाम आंगरेला में दत्त मिनाजो

इसी प्रकार उक्त खाता सं. 101 वनाम
आंगरेला में से खाने 151/271 रुबा 1.00 है
खारिज किया जाकर वादीगण कमिश्नी वॉरंट
के खाता सं. 85 वनाम आंगरेला में दत्त मिना
जो आ.प्र. के खाते में दत्त मिना